राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-4)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2013 / 9501-115 दिनांक 9/7/13

## —: आदेश :—

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1723—1837 दिनांक 21.02.2013 के माध्यम से एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला कलक्टर को वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर का अध्यक्ष घोषित किया गया था। उक्त आदेशों के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर द्वारा जिले में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का उल्लेख है। उक्त आदेशों के अनुसरण में विभागीय पत्रांक 4209—4551 दिनांक 18.03.2013 के माध्यम से आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में अंकित कार्यों हेतु अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर के स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के प्रपत्र भिजवाते हुए तदनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत भारत सरकार से परियोजनाएं स्वीकृत होने के पश्चात एस.एल.एन.ए. स्तर से सभी परियोजनाओं हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है एवं परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के उपरान्त परियोजना में सम्मिलित वास्तविक क्षेत्र के संदर्भ में पुनः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। इस प्रकार दो बार राज्य स्तर से परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त पुनः जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की कोई व्यवहारिकता न होकर एक दोहराव मात्र है, परन्तु इसके कारण कार्य निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होना पाया गया है।

अतः विभागीय आदेश क्रमांक 1723—1837 दिनांक 21.02.2013 के बिन्दु संख्या 1 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 4209—4551 दिनांक 18.03.2013 एवं उक्त आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

उक्त आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।

(एम.एस.काला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-4)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2013 / 9501-115 दिनांक 9/7/13

प्रतिलिपि :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले)
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (IWMP)